विविध बैंक प्रकरण सं0 73/2015 पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. विष्णुदत्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा 2. परमेश्वरी देवी पत्नि विष्णुदत्त शर्मा, निवासी 6 के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर, 3. कपिल असीजा पुत्र रमेश कुमार असीजा, 4. गुरदेव मिगलानी पुत्र रोशन लाल मिगलानी निवासी 321 विनाबा बस्ती, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्द्र सिंह का लिखित में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसकी पहचान श्री देवेनद्र सिंह संधू, अधिवक्ता द्वारा की गई।

विष्णुदत्त शर्मा एवं परमेश्वरी देवी वगैरह द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण से ऋण राशि की वसूली हो चुकी है इसलिए प्रार्थी बैंक प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया यह प्रार्थना पत्र पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा, श्रीगंगानगर के मुख्य प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रो. विष्णुदत्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा वगै. के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत मकान नम्बर 66, के–ब्लॉक, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री समिन्दर सिंह द्वारा लिखित में प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है। इसलिए वे अब इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यदि इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर